

निदेशालय, विकलांग जन विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ

पत्रांक: 002-301KAR

दिनांक: ०४ अगस्त, 2014

जिला विकलांग जन विकास अधिकारी /आहरण वितरण अधिकारी
लखनऊ, गोरखपुर, बांदा, आगरा, वाराणसी ।

विषय: अनुदान संख्या:79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक:2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण आयोजनेतर पक्ष में बजट आवंटन ।

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या: 79 के लेखाशीर्षक: 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण- आयोजनेतर-101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-04-विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए आश्रित कर्मशाला व प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन में कुल ₹0 1,10,96,600/- (रूपये एक करोड़ दस लाख छियानवे हजार छः सौ मात्र) की धनराशि संलग्न तालिकानुसार आपके जनपद में स्थित कर्मशालाओं हेतु एतद्वारा आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है।

1. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
2. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण दो प्रतियों में बी०एम०-८ निर्धारित प्रपत्र पर एवं कोषागार डी०डी०ओ०रिकन्सीलेशन शीट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें इस सम्बन्ध में अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक भी वांछित सूचनायें प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन रोकने के आदेश निर्गत कर दिये जायेगे।
3. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
4. आवंटित धनराशि में से समय-समय पर उतनी ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाये जितनी तत्काल भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक हो। कोई भी धनराशि आहरित करके बैंक अथवा पी०एल०ए० में न रखी जाये। जिन मदों में धनराशि आवंटित की गयी है उन्हीं मदों में नियमानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक/बजट मैनुअल एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाये।
5. उपर्युक्त आवंटन निदेशालय के बजट नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या पर प्रविष्ट है।

धनराशियों का प्रदेसन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त धनराशि आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या पर अंकित है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

- 1- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन/कलैक्ट्रेट लखनऊ, गोरखपुर, बांदा, आगरा, वाराणसी
2. कौशल विकास केन्द्र लखनऊ, बांदा, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर
3. महालेखाकार कार्यालय प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
4. सचिव, उ०प्र० शासन, विकलांग कल्याण, अनु०-2
5. उपनिदेशक विभागीय संस्थायें।

(के०एन०सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

विकलांग कल्याण निदेशालय

आवंटन आदेश संख्या: 002-30IKAR -

आवंटन तिथि: 08/08/2014

अनुदान संख्या: 79 - समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक: 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

04 - विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र

आयोजनेत्तर
(धनराशि रु. में)

अधिकारी / जनपद	01-वेतन	02-मजदूरी	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	29-अनुसूचना	39-औषधि तथा रसायन	41-भोजन व्यय	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पत्ति	योग
08-आगरा-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --कौशल विकास केन्द्र	665500	0	668600	3000	68500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	1410600
26-बांदा -4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --कौशल विकास केन्द्र	600000	0	600000	5000	35000	10000	0	8000	0	0	5000	125000	10000	50000	1448000
27-वाराणसी-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --कौशल विकास केन्द्र	1000000	0	1000000	3000	100000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	2111000
32-गोरखपुर-4687-जिला विकलांग	1000000	15000	1000000	3000	150000	8000	50000	8000	0	25000	0	0	20000	0	2279000

